संख्या-174/2020/3001/22-2-2019-17(1186)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 मई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 फारूख पुत्र श्री रफीक निवासी जिला-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोवेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 फारूख पुत्र श्री रफीक, जो-मौ0 घण्टे वाली गली फिरोजनगर, थाना-लिसाडी गेट, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बंदी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और पीटता था। इस कारण दिनांक 21.05.2004 की रात लगभग 09:30 बजे पत्नी शमा परवीन की छुरा से गला रेत कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-578/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सख्या-07, मेरठ के आदेश दिनांक 01.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.10.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 22.08.2019 तक 15 वर्ष 02 माह 25 दिन अपरिहा एवं 19 वर्ष 09 माह 08 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त कोई अप्रिय घटना घटित होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और पीटता था। इस कारण दिनांक 21.05.2004 की रात लगभग 09:30 बजे पत्नी शमा परवीन की छुरा से गला रेत कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरत, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 फारूख पुत्र रफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 फारूख (बन्दी संख्या-11092) पुत्र श्री रफीक निवासी जिला-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-174/2020/3001(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-174/2020/3001/22-2-2019-17(1186)/2019

दिनांक 30 मई, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 फारूख पुत्र श्री रफीक, जो-मौ0 घण्टे वाली गली फिरोजनगर, थाना-लिसाडी गेट, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बंदी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और पीटता था। इस कारण दिनांक 21.05.2004 की रात लगभग 09:30 बजे पत्नी शमा परवीन की छुरा से गला रेत कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-578/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सख्या-07, मेरठ के आदेश दिनांक 01.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.10.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 22.08.2019 तक 15 वर्ष 02 माह 25 दिन अपरिहा एवं 19 वर्ष 09 माह 08 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त कोई अप्रिय घटना घटित होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और पीटता था। इस कारण दिनांक 21.05.2004 की रात लगभग 09:30 बजे पत्नी शमा परवीन की छुरा से गला रेत कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरत, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 फारूख पुत्र रफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in